भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3509
दिनांक 21 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

बाल देखभाल संस्थाएं

3509. श्री हरीभाई पटेल:
श्री राजू बिष्ट:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत बाल देखभाल संस्थाओं (सीसीआईएस) के लिए सहायता बढ़ाई है और यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान प्रदान की गई सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए गैर-संस्थागत देखभाल सेवाओं में कोई वृद्धि की गई है और यदि हां, तो इन सेवाओं के अंतर्गत कितने बच्चों को सहायता दी गई है;
(ग) क्या सरकार ने मिशन वात्सल्य के भाग के रूप में कोई नई जिला बाल संरक्षण इकाइयां या बाल कल्याण समितियां स्थापित की हैं और यदि हां, तो इन प्रतिष्ठानों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सीसीआई में बच्चों के लिए शैक्षिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण के अवसरों में सुधार लाने के उद्देश्य से कोईविशेष पहल की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या सरकार को आशा है कि इन प्रयासों से देखभाल में रह रहे बच्चों के लिए बेहतर परिणाम सामने आएंगे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे किस प्रकार मापा जाएगा; और
(च) मिशन वात्सल्य के अंतर्गत प्रारम्भ से लेकर अब तक दार्जिलिंग और कलिमपोंग जिलों में प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों के लिए विभिन्न सेवाएं प्रदान करने हेतु केंद्र और राज्य सरकारों के बीच पूर्व-निर्धारित लागत साझाकरण के आधार पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से 'मिशन वात्सल्य' नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना कार्यान्वित कर रहा है जिसमें संस्थागत देखभाल और गैर-संस्थागत देखभाल सेवाएं भी शामिल हैं। मिशन वात्सल्य योजना के तहत स्थापित बाल देखभाल संस्थान (सीसीआई) अन्य कार्यों के साथ-साथ, आयु-उपयुक्त शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पहुंच, मनोरंजन, स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श इत्यादि प्रदान करते हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत जारी की गई राज्यवार निधि और वर्ष 2023-24 के दौरान इस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त सीसीआई की संख्या **अनुलग्नक-I** में दी गई है।

(ख) : गैर-संस्थागत देखभाल सहायता, देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को प्रायोजन, पालन-पोषण देखभाल तथा पश्चात देखभाल (आफ्टर केयर) के माध्यम से प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के दौरान मिशन वात्सल्य योजना के तहत अनुमोदित बच्चों की संख्या निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	**अनुमोदित बच्चों की संख्या**
2022-23	62,675
2023-24	1,21,861
2024-25	1,70,895

(ग) **:** किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 106 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य सरकार प्रत्येक जिले के लिए एक बाल संरक्षण इकाई का गठन करेगी, जिसमें ऐसे अधिकारी और अन्य कर्मचारी शामिल होंगे, जिन्हें उस सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा । यह इकाई अधिनियम के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बच्चों से संबंधित मामलों को उठाएगी, जिसमें इस अधिनियम के तहत संस्थानों की स्थापना और रखरखाव, बच्चों के संबंध में सक्षम अधिकारियों की अधिसूचना एवं बच्चों का पुनर्वास तथा संबंधित विभिन्न सरकारी तथा गैर-सरकारी एजेंसियों के साथ समन्वय और ऐसे अन्य कार्यों जो निर्धारित किए जाएं, का निर्वहन करना शामिल है।

इसके अलावा, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 27 (i) में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना जारी करके प्रत्येक जिले के लिए एक या एक से अधिक बाल कल्याण समितियों का गठन करेगी, ताकि इस अधिनियम के तहत देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के संबंध में ये समितियां प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सकें और सौपें कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें तथा यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिसूचना की तारीख से दो महीने के भीतर समिति के सभी सदस्यों को प्रारंभिक प्रशिक्षण भी दिया गया है और संवेदनशील किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान मिशन वात्सल्य के तहत सहायता प्राप्त राज्यवार जिला बाल संरक्षण इकाइयों और बाल कल्याण समितियों का विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

(घ): मिशन वात्सल्य योजना के तहत स्थापित बाल देखभाल संस्थान (सीसीआई) अन्य बातों के साथ-साथ आयु-उपयुक्त शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पहुंच, मनोरंजन, स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श इत्यादि प्रदान करते हैं।

(ड.) **:** मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत बनाए गए सांविधिक और सेवा प्रदायगी ढांचे, निधियों के उपयोग, योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त लाभार्थियों, राज्य और जिला स्तर पर उपलब्ध संरचनाओं अर्थात राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी (एससीपीएस), राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी (एसएआरए), बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी), किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी), जिला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू) और बाल देखभाल संस्थान (सीसीआई) के आधार पर बेहतर परिणाम की परिकल्पना की जा सकती है।

(च): वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 (अब तक) के दौरान, दार्जिलिंग और कलिमपोंग जिले सहित पश्चिम बंगाल राज्य को मिशन वात्सल्य योजना के तहत 119.14 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

*****

अनुलग्नक-I

श्री हरिभाई पटेल और श्री राजू बिस्ट द्वारा "बाल देखभाल संस्थाएं" विषय पर दिनांक 21.03.2025 को लोक सभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3509 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वर्ष 2023-24 के दौरान मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत जारी की गई राज्यवार निधियां और वर्ष 2023-24 के दौरान योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त सीसीआई की संख्या

क्रम सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जारी की गई राशि (लाखों रुपए में)	सीसीआई की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	2500.76	98
2	अरुणाचल प्रदेश	2435.38	11
3	असम	5966.27	60
4	बिहार	6518.02	89
5	छत्तीसगढ़	4465.94	85
6	गोवा	0	25
7	गुजरात	4710.23	76
8	हरियाणा	1616.98	31
9	हिमाचल प्रदेश	2115.30	31
10	जम्मू एवं कश्मीर	4364.48	55
11	झारखंड	3765.91	49
12	कर्नाटक	9093.83	154
13	केरल	2227.19	45
14	मध्य प्रदेश	6084.94	101
15	महाराष्ट्र	9537.68	107
16	मणिपुर	2923.85	86
17	मेघालय	3127.99	54

18	मिजोरम	5309.45	60
19	नागालैंड	2928.28	44
20	ओड़िशा	6028.17	135
21	पंजाब	1543.98	27
22	राजस्थान	4283.88	141
23	सिक्किम	579.74	23
24	तमिलनाडु	12869.99	320
25	तेलंगाना	3998.02	63
26	त्रिपुरा	3209.03	31
27	उत्तर प्रदेश	10356.62	108
28	उत्तराखंड	3263.37	36
29	पश्चिम बंगाल	5742.44	207
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	268.01	10
31	चंडीगढ़	582.85	9
32	दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव	319.34	4
33	दिल्ली	388.77	39
34	लक्षद्वीप	35.66	0
35	लद्दाख	438.89	7
36	पुदुच्चेरी	566.87	29
कुल		**134168.11**	**2450**

अनुलग्नक-II

श्री हरिभाई पटेल और श्री राजू बिस्ट द्वारा "बाल देखभाल संस्थाएं" विषय पर दिनांक 21.03.2025 को लोक सभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3509 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वित्तीय वर्ष 2023-24 में मिशन वात्सल्य योजना के तहत सहायता प्राप्त जिला बाल संरक्षण इकाईयों (डीसीपीयू) और बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी) की राज्यवार संख्या

क्रम सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	डीसीपीयू की संख्या	सीडब्ल्यूसी की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	26	26
2	अरुणाचल प्रदेश	25	26
3	असम	33	33
4	बिहार	38	38
5	छत्तीसगढ़	33	33
6	गोवा	2	2
7	गुजरात	33	33
8	हरियाणा	22	22
9	हिमाचल प्रदेश	12	12
10	जम्मू और कश्मीर	20	20
11	झारखंड	24	24
12	कर्नाटक	31	39
13	केरल	14	14
14	मध्य प्रदेश	51	51
15	महाराष्ट्र	36	39
16	मणिपुर	16	16
17	मेघालय	12	12
18	मिजोरम	11	11

19	नागालैंड	16	16
20	ओड़िशा	30	31
21	पंजाब	23	23
22	राजस्थान	33	33
23	सिक्किम	6	6
24	तमिलनाडु	38	40
25	तेलंगाना	33	36
26	त्रिपुरा	8	8
27	उत्तर प्रदेश	75	75
28	उत्तराखंड	13	13
29	पश्चिम बंगाल	23	25
30	अंडमान और निकोबार दीप समूह	3	3
31	चंडीगढ़	1	1
32	दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव	3	3
33	लद्दाख	2	2
34	लक्षद्वीप	1	1
35	दिल्ली	11	10
36	पुदुच्चेरी	4	4
	कुल	**762**	**781**

****